

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....32/जैसल/200.8-200-9.


यह प्रमाणित किया जाता है कि ~~शाले फकीर विकास~~
~~सोसायटी केहर फकीर जी दाणी~~ जिला जैसलमेर का
राजस्थान सस्या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम

संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक.....21.....माह.....~~जुलाई~~.....सन् दो हजार.....08.....को

जैसलमेर में दिया गया ।




(रमेश कुमार वाफता)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर

पंजीयन क्रमांक 1119/10
दिनांक 11-11-2010
डिस्पेच नं० 5167
दिनांक 11-11-2010

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



सत्यमेव जयते

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर

श्री शूलि फकीर विकास सोसायटी गोशाला

केहर फकीर की ढाणी पोन्देकीकोर तहसील फतेहगढ़

जिला (जैसलमेर) के सम्बन्ध में ।

चूंकि श्री दोन मोहम्मद, अध्यक्ष न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला

श्री शूलि फकीर विकास सोसायटी गोशाला, केहर फकीर की ढाणी ने राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् में सन्तुष्ट हो गया हूँ, कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्ट्र) करली गई है ।

आज दिनांक 11-11-2010

माह नवम्बर

वर्ष दो हजार दस



पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवम् उपनिदेशक
गोशाला राजस्थान जयपुर